रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 180] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 8, 1986/चैत्र 18, 1908
No. 180] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 8, 1986/CHAITRA 18, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 1986

सं. 247/86-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 612 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57ज द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 198/86-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 14 मार्च, 1986 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. बी. 22/5/86-टी. आर. यू.]

गौतम रे, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 1986

No 2-7/86 CENTRAL EXCISES

G.S.R 612(E).—In exercise of the powers conferred by rule 57J of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No 198/86-Central Excise, dated the 14th March, 1986, namely :—

In the said notification paragraph 2 shall be omitted.

[F. No. B. 22/5/86-TRU]

GAUTAM RAY, Under Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986